BULANDSHAHR POLICE

दिनांक – 12 जून, 2025 **थाना सिकन्द्राबाद**

अन्तर्राज्य 02 शातिर लुटेरे/चोर गिरफ्तार, कब्जे से लूट के रुपये,अवैध असलहा कारतूस,चाकू व घटना में प्रयुक्त गाडी आदि बरामद।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 12.06.2025 को थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा दौराने चैकिंग निजामपुर बिजली घर के पास से 02 शातिर अभियुक्तों को चोरी/लूट के रूपये, अवैध असलहा कारतूस, अवैध चाकू, घटना मे प्रयुक्त गाडी बरामद व चोरी किया गया समान सहित गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 564/25 धारा 310(4), 310(5) बीएनएस व 3/4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. छोटे पुत्र स्व0 ओमप्रकाश निवासी नवलपुर सिटी स्टेशन खुर्जा थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
2. कुलदीप पुत्र लख्मीचन्द निवासी उपरोक्त

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 ईको गाडी रजि0 नं0 DL 1CN 7317 (घटना मे प्रयुक्त)
2. 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस
3. 01 अवैध चाकू
4. 05 कि0ग्रा0 ताबे का तार
5. 3000/- रूपये नगद
6. 02 पाजेब सफेद धातु

गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के चोर/लूटेरे हैं। जिनका एक संगठित गिरोह हैं, जो दिल्ली/ गौतमबुद्धनगर/ गाजियाबाद/ हापुड/ बुलन्दशहर से चोरी/लूट करते हैं तथा आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। अभियुक्तों द्वारा अब तक 100 से अधिक चोरी/लूट करने की घटनाओं की स्वीकारोक्ति की गयी हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा अपने अन्य साथियो के साथ दिनांक 07.06.2025 को थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्रान्तर्गत जोखाबाद मे नलकूप से तार चोरी करने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअस 556/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा अपने अन्य साथियो के साथ दिनांक 08.06.2025 को थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सराय दूल्हा मे एक घर से कुछ रूपये व कुछ आभूषण चोरी करने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअस 550/25 धारा 305(A) बीएनएस पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा अपने अन्य साथियो के साथ दिनांक 09.06.2025 को जनपद हापुड के थाना पिलखुवा क्षेत्रान्तर्गत छजारसी टोल के पास दो व्यक्तियो को गाडी मे बैठाकर उनके बैग, जेब से 63000/- रूपये व एटीएम का पिन पूछकर 10000/- रूपये निकलने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर मुअस 331/25 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त छोटे का आपराधिक इतिहास-

1. मुअस 335/14 धारा 392,411 भादवि थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।
2. मुअस 414/14 धारा 392,411 भादवि थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।
3. मुअस 331/25 धारा 309(4) बीएनएस थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
4. मुअस 550/25 धारा 305(A) बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअस 556/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअस 564/25 धारा 310(4), 310(5) बीएनएस व 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त कुलदीप का आपराधिक इतिहास-

1. मुअस 331/25 धारा 309(4) बीएनएस थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
2. मुअस 550/25 धारा 305(A) बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअस 556/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअस 564/25 धारा 310(4), 310(5) बीएनएस व 4/25 शस्त्र अधि0 थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री अनिल कुमार शाही प्रभारी निरीक्षक थाना सिकन्द्राबाद
2. उ0नि0 मेजर सिंह विर्क, उ0नि0 कृष्ण कुमार गौतम, उ0नि0 शिवशंकर, उ0नि0 यतेन्द्र शर्मा
3. है0का0 देवेन्द्र, का0 रोहित कुमार

मीडिया सेल बुलंदशहर।